पत्रांक–7/मलेरिया–22–01/2018 50 (7) स्व

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ–सह–नियंत्री पदाधिकारी,

मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना

संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 11-10-18

विषय :स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹9,87,78,770/– (नौ करोड़ सतासी लाख अठहत्तर हजार सात सौ सत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–9(7)ब दिनांक–07.06.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹9,87,78,770/– (नौ करोड़ सतासी लाख अठहत्तर हजार सात सौ सत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–20–2210061010003 के अन्तर्गत आय–व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सह नियंत्री पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सघन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय ।

6. किराये के मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

7. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के कम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

10. विवरणी–।। में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु नवादा/ गया/ रोहतास/ कैमूर/ औरंगाबाद/ मुंगेर एवं जमुई को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया जा रहा है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे ।

11. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

12. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 50 (7) 65 पटना, दिनांक : 11-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (11–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना	0	0	0	0	0	0	0	9370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9370	475/3.5.18
2	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0, पटना	1100000	110000	220000	44000	13200	13200	1500400	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	1520400	66/3.8.18
3	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0,मुजफ्फरपुर	1800000	180000	180000	0	21600	21600	2203200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2203200	
4	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0,भागलपुर	2500000	250000	250000	0	30000	30000	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3060000	
5	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0,दरभंगा	2500000	250000	250000	0	30000	30000	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3060000	
6	अपर मु0 चि0 पदा0,पटना	8500000	850000	2125000	20000	102000	102000	11699000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11699000	437/23.8.18
7	अपर मु0 चि0 पदा0, गया	5400000	540000	540000	0	64800	64800	6609600	0	10000	8000	3500	0	5000	2000	5000	5000	40000	6688100	205/18.9.18
8	अपर मु0 चि0 पदा0, भोजपुर	2500000	250000	250000	0	30000	30000	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3060000	
9	अपर मु0 चि0 पदा0, नवादा	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
10	अपर मु0 चि0 पदा0, नालन्दा	3700000	370000	370000	0	44400	44400	4528800	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	4530300	538/20.9.18
11	अपर मु0 चि0 पदा0, औरंगाबाद	1500000	150000	150000	0	18000	18000	1836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1836000	
12	अपर मु0 चि0 पदा0, रोहतास	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
13	अपर मु0 चि0 पदा0, भागलपुर	2500000	250000	250000	0	30000	30000	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3060000	
14	अपर मु0 चि0 पदा0, मुंगेर	3200000	320000	320000	0	38400	38400	3916800	0	0	0	0	0	20000	5000	0	0	0	3941800	264/12.9.18
15	अपर मु0 चि0 पदा0, वैशाली	2500000	250000	250000	0	30000	30000	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3060000	
16	अपर मु0 चि0 पदा0, मुजफ्फरपुर	3000000	300000	300000	0	36000	36000	3672000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3672000	
17	अपर मु0 चि0 पदा0, दरभंगा	3000000	300000	300000	0	36000	36000	3672000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	3677000	355/17.9.18
18	अपर मु0 चि0 पदा0, सीतामढ़ी	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
19	अपर मु0 चि0 पदा0, समस्तीपुर	2500000	250000	250000	0	30000	30000	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3060000	
20	अपर मु0 चि0पदा0,पूर्वी चम्पारण	3000000	300000	300000	0	36000	36000	3672000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3672000	
21	अपर मु0 चि0 पदा0,प0चम्पारण	3000000	300000	300000	0	36000	36000	3672000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3672000	
22	अपर मु0 चि0 पदा0, सारण	3000000	300000	300000	0	36000	36000	3672000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3672000	
23	अपर मु0 चि0 पदा0, सीवान	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
24	अपर मु0 चि0 पदा0, गोपालगंज	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
25	अपर मु0 चि0 पदा0, बेगुसराय	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
26	अपर मु0 चि0 पदा0, पूर्णिया	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
27	अपर मु0 चि0 पदा0, सहरसा	2200000	220000	220000	0	26400	26400	2692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2692800	
28	अपर मु0 चि0 पदा0, कटिहार	1800000	180000	180000	0	21600	21600	2203200	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	2205200	456/19.9.18
29	अपर मु0 चि0 पदा0, मधुबनी	2500000	250000	250000	0	30000	30000	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3060000	
	कुल	**77100000**	**7710000**	**9095000**	**64000**	**925200**	**925200**	**95819400**	**9370**	**20000**	**18000**	**3500**	**1500**	**25000**	**14000**	**5000**	**5000**	**40000**	**95960770**	

(नौ करोड़ उनसठ लाख साठ हजार सात सौ सत्तर) रू0 मात्र

50 (7)6
11-10-18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी– II

व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत उल्लेखित प्राथमिक इकाईयों में नवादा/गया/रोहतास/कैमूर/औरंगाबाद/मुंगेर एवं जमुई जिले का वित्तीय वर्ष 2018–19 में अतिरिक्त आवंटन

क्रमांक	जिला का नाम	मजदूरी (02–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	कुल आवंटित राशि
1	नवादा	300000	18000	318000
2	गया	200000	15000	215000
3	रोहतास	300000	20000	320000
4	कैमूर	500000	20000	520000
5	औरंगाबद	400000	15000	415000
6	मुंगेर	400000	15000	415000
7	जमुई	600000	15000	615000
	कुल योग :–	**2700000**	**118000**	**2818000**

(अट्ठाईस लाख अट्ठारह हजार) रूपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी– III

विवरणीवार व्यय की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	विवरणी– I	विवरणी– II	कुल
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	77100000	0	77100000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	7710000	0	7710000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	9095000	0	9095000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	64000	0	64000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	925200	0	925200
6	अन्य भत्ता (01–07)	925200	0	925200
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**95819400**	**0**	**95819400**
7	मजदूरी (02–01)	0	2700000	2700000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	9370	0	9370
9	यात्रा व्यय (11–01)	20000	0	20000
10	कार्यालय व्यय (13–01)	18000	118000	136000
11	वाहन का ईधन एवं रख रखाव (13–02)	3500	0	3500
12	दूरभाष (13–03)	1500	0	1500
13	विद्युत प्रभार (13–04)	25000	0	25000
14	विधि प्रभार (13–05)	14000	0	14000
15	वर्दी/ पोषाक (13–06)	5000	0	5000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	5000	0	5000
17	दवा भण्डार (21–02)	40000	0	40000
	कुल योग:–	**95960770**	**2818000**	**98778770**

(नौ करोड़ सतासी लाख अठहत्तर हजार सात सौ सत्तर) रू0 मात्र

50 (7) G

11-10-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003–01–01)	243000000	132400000	77100000	209500000	33500000
2	जीवन यापन भत्ता (0003–01–03)	27000000	13240000	7710000	20950000	6050000
3	मकान किराया भत्ता (0003–01–04)	53303000	15525000	9095000	24620000	28683000
4	परिवहन भत्ता (0003–01–05)	423000	144000	64000	208000	215000
5	चिकित्सा भत्ता (0003–01–06)	8460000	1588800	925200	2514000	5946000
6	अन्य भत्ता (0003–01–07)	6663000	1588800	925200	2514000	4149000
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	**338849000**	**164486600**	**95819400**	**260306000**	**78543000**
7	मजदूरी (0003–02–01)	10000000	2700000	2700000	5400000	4600000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	500000	0	9370	9370	490630
9	यात्रा व्यय (0003–11–01)	1000000	435000	20000	455000	545000
10	कार्यालय व्यय (0003–13–01)	600000	350000	136000	486000	114000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	101500	3500	105000	95000
12	दूरभाष (0003–13–03)	100000	50750	1500	52250	47750
13	विद्युत प्रभार (0003–13–04)	500000	348000	25000	373000	127000
14	विधि प्रभार (0003–13–05)	100000	58000	14000	72000	28000
15	वर्दी / पोषाक (0003–13–06)	306000	145000	5000	150000	156000
16	किराया महसूल एवं कर (0003–14–01)	500000	261000	0	261000	239000
17	प्रशिक्षण व्यय (0003–20–03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0003–21–01)	100000	58000	5000	63000	37000
19	दवा भण्डार (0003–21–02)	800000	0	40000	40000	760000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003–27–02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003–52–01)	1000000	0	0	0	1000000
	कुल योगः–	**357056000**	**168993850**	**98778770**	**267772620**	**89283380**

50 (7) 6
11-10-18

10/10/18

सरकार के विशेष सचिव